निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 78 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण (चमोली)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण (चमोली) के माह 07/2014 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री आलोक चौधरी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20/11/2018 से 29/11/2018 तक श्री ऐ॰ के॰ जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-।

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:** गैरसैण ब्लॉक के सेतु एवं सड़कों का निर्माण कार्य व रखरखाव ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15			88.60	88.17	193.58	193.52		0.42		0.06
2015-16	-	-	168.66	165.25	1432.46	1432.46		3.40		0.00
2016-17	-	-	172.49	170.18	536.02	536.01		2.31		0.01
2017-18	-	-	237.69	202.06	439.35	439.33		35.62		0.02
2018-19			212.24	139.91	397.27	282.67		-		114.60

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "बी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाये)

1. सचिव,
2. प्रमुख अभियंता,
3. मुख्य अभियंता,
4. अधीक्षण अभियंता,
5. अधिशासी अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण (चमोली)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण (चमोली)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 10/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कहल चौरी काइथान-नैलदैवपुरी- किमी 29 से किमी 51 , डामरीकरण का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन 10/2018 के F-64 के आधार पर अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक 18/01/16 से 23/01/16, 25/09/17 से 29/09/17, 14/02/18 से 17/02/18 का निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तक की गई।

7. फार्म-51: माह 10/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹ शून्य

भाग द्वितीय ₹ 3264789/-

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 4102700/-
(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --
(ग) नगद परिशोधन -- शून्य --
(घ) निक्षेप ₹ 14209849/-
(ङ) भण्डार ₹ 2178765/-

भाग– 2 ब

प्रस्तरः–1 महालेखाकार कार्यालय को विगत 2 वर्षो से फार्म –51 प्रेषित न किया जाना।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गैरसैंण की अभिलेखों की जॉच में पाया गया खण्ड द्वारा माह 10/2016 से (विगत लगभग 2 वर्षो से) फार्म–51 को महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित नहीं किया जा रहा था। जो Public works Account Code के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है।

आगे जॉच मे पाया गया कि खण्ड द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय को अन्तिम बार प्रेषित माह 10/2016 के फार्म –51 के भाग–2 के विवरणों में रू0 3264789.00 का अन्तर था। जिसका समायोजना खण्ड द्वारा आगे फार्म–51 प्रेषित न किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं था कि यह अन्तर/धनराशि लेखा परीक्षा तिथि तक हुआ या नहीं।

लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर खड द्वारा उत्तर में बताया गया कि फार्म–51 अब से प्रेषित करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि नियमानुसार प्रति माह फार्म–51 महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय, देहरादून को प्रेषित किया जाना चाहिए। फार्म–51 प्रतिमाह प्रेषित न किया जाना Public works Account Code के प्रावधानो का उल्लघंन है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:-2 रु0 41.08 लाख की अर्थदण्ड की वसूली न किए जाना एवं रु0 3.14 लाख का परिहार्य व्यय |

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि गैरसैंण के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में मुख्य मंत्री घोषणा सं0 829/2012 के अन्तर्गत खजूरखाल भण्डारीखोड मोटर मार्ग का किमी0 09 से 16 (चै0 8.000–15.675) तक सुढृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (लम्बाई– 7.675 किमी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 6112/।।। (2)/13–32 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22.11.2013 द्वारा लम्बाई 7.675 किमी0 हेतु लागत रू0 492.01 लाख प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य हेतु लागत रू0 492.01 लाख की प्रावैधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0 क्षे0) लो0नि0वि, पौड़ी पत्रांक 384/07 (130) मा0मु0घौ0– पर्व0/2014 दिनांक 15.2.2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त के क्रम मे कार्य कराने हेतु अनुबंध सं0 08/se–7/2013–14 दिनांक 4.3.14 ठेकेदार मै0 आर0 जी0 बिल्डवैल इंजीनियर्स प्रा0लि, के पक्ष में अनुबंध लागत रू0 4,1077,369.00 गठित किया गया जिसके आरम्भ की तिथि - 4.3.14 व पूर्ण करने की तिथि- 3.12.2014 थी। उक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष अद्यतन 17thr/bill द्वारा रू0 3,53,08,273 के भुगतान के पश्चात् लेखा परीक्षा तिथि (11/18) तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

आगे जांच में पाया गया कि RetainingWalls जिनका निर्माण किया गया उनमें से 267.44 cum जिसकी ऊंचाई 4 मी0 से कम थी Random Rubble StoneMasonry laid in 1:6 cement and sand mortar से निर्मित की गयी। उल्लेखनीय है कि 17th R/bill तक RR stone masonry with 1:6 cement and sand mortar का कुल की गई कार्य की मात्रा 2143.47 cum है। जिसमें breast walls,RW, parapets, sc Uppers,etc. सम्मिलित हैं।

G.P.W.-9 के clause 4 के अन्तर्गत ठेकेदार पर रू0 41.08 लाख (10प्रतिशत रू0 410.77 लाख) का अर्थदण्ड लगना चाहिये परंतु निर्माण कार्य 4 वर्ष की देरी होने के पश्चात् भी पूर्ण न होना तथा 17 बिलों में से किसी भी बिल से अर्थदण्ड की कटौती नहीं की गयी,

जबकि रू0 353.08 लाख का भुगतानलेखा परीक्षा तिथि (11/18) तक किया जा चुका है साथ ही ठेकेदार को कोई समयवृद्धि नहीं दी गयी है।

IRC:SP: 48-1998(Hill Road Manual) एवं प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 216/10 अधिप्राप्ति /13 दिनांक 12.2.2014 के specifications के अनुसार retaining walls जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तक है, आर0 आर0 ड्राई Masonryसे निर्मित किया जाना चाहिए था जब कि इसके विपरीत 267.44 घनमी0 RE walls आर0आर0 स्टोन masonry with 1:6 cement and sand mortar से निर्मित किया गया जिस कारण रू0 3,14,242 [267.44X1175 (2325–1150)] परिहार्य व्यय किया गया।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि विभागीय प्रक्रिया के अनुसार अर्थदण्ड की वसूली अन्तिम देयक से की जाती है, अंतिम देयक खण्ड में प्रस्तुत होने के उपरांत एवं कार्य मे विलम्ब की स्थिति के मध्यनजर रखते हुए फर्म से नियमानुसार कटौती कर दी जाएगी।रिटेनिंग वाल का कार्य खंड साइड में किया जाता है एवं खंड साइड में slip एवं settlement की संभावना मार्ग की लम्बाई में कुछ जगहों पर सदैव बनी रहती है, जिस वजह से उस जगह पर dry masonary से कार्य कराने पर हमेशा settlement का खतरा बना रहता है एवं मार्ग बन्द होने की प्रबल संभावना होती है, उच्च अधिकारियों द्वारा साइइ पर inspection के दौरान समय–समय पर साइट के जरूरतों के अनुसार दिए गए मौखिक निर्देशों के अनुपालन में 4m से कम हाइट के रिटेनिंग वाल में 1:6 की RR masonary का प्राविधान किया जाता है।

लेखापरीक्षा खंड के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि (12/2014) बीत जाने के 4 वर्ष 6 बाद भी अर्थदण्ड की कटौती ठेकेदार के देयक से नहीं की गई थी जो अनुबंध की शर्तानुसार अर्थदण्ड लगाया जाना था। साथ ही IRC:SP: 48-1998 (Hill Road Manual) एवं प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 216/10 अधिप्राप्ति /13 दिनांक 12.2.2014 के specifications के अनुसार retaining walls जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तक है, आर0 आर0 ड्राई Masonry से निर्मित किया जाना चाहिए था जब कि इसके विपरीत 267.44 घनमी0 RE walls आर0आर0 स्टोन masonry with 1:6 cement and sand mortar से निर्मित किया गया,**अतः इस संबंध में खंड का उत्तर मान्य नहीं है।**

इस प्रकार रु0 41.08 लाख की अर्थदण्ड की वसूली लंबित रहने एवं रु0 3.14 लाख का परिहार्य व्यय का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है|

भाग-II (ब)

प्रस्तर-3:-शेष मार्ग (किमी-2 एवं 3) एवं पुलिया का निर्माण नहीं किए जाने किमी-1, जिस पर कार्य पूर्ण हो गया था, पर हुए `46.77 **लाख के व्यय के बावजूद भी पूर्ण लाभ नहीं मिलना ।**

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **811(1) / III (2) / 14-50** (प्रा0आ0) / **2013** दिनांक **08** फरवरी 2014 के द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 405/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा कर्णप्रयाग के विकास खंड गैरसैन के मैखुली - खिनसर मोटरमार्ग (लम्बाई-3.00किमी) के डामरीकरन एवं पुल निर्माण के लिए `**217.34** लाख की की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए `**217.34** लाख की प्रविधिकी स्वीकृति मार्च 2015 में अधीक्षण अभियंता, सातवाँ वृत, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत मार्ग निर्माण एवं पुल निर्माण हेतु क्रमश: `**169.16** लाख एवं `**39.82** लाख के लिए आवंटित की गयी थी तथा शेष राशि ` **8.36** लाख गुण नियंत्रण / आकस्मिकता के लिए प्रावधानित थी। प्रतिवेदन जिसके आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी उसमे मूल रूप से तीन किलोमीटर के कच्चे मार्ग का **Premix Carpet** एवं **Sealcoat** से मार्ग का निर्माण किया जाना था तथा किलोमीटर-3 पर 15 मीटर स्पान के सेतु का निर्माण किया जाना था।

कार्य सम्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता के स्तर के क्रमश: दो-दो अनुबंध गठित की गयी थी जिसके सापेक्ष जून 2018 तक `**169.16** लाख की राशि व्यय की जा चुकी है जिनका विवरण निम्नवत है।

मद	**अनुबंध संख्या**	**अनुबंधित राशि (लाख में)**	**कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि**	**कार्य समापन की निर्धारित तिथि**	**वर्तमान तक व्यय (लाख में)**	**कार्य की वर्तमान स्थिति**
मार्ग निर्माण (किमी-1)	**58/ EE dt 4.02.16**	**50.94**	04.02.16	3.11.2016	**46.77**	अंतिम देयक का भुगतान
मार्ग निर्माण (किमी-2)	**12/SE-7 dt. 27.02.2016**	**78.01**	**27.02.16**	**26.11.16**	**44.33**	कार्य प्रगति में **(3rd RA Bill)**
मार्ग निर्माण	**57/EE dt**	42.06	04.02.16	3.11.2016	**34.69**	कार्य प्रगति में

(किमी-3)	**4.02.16**					**(5th RA Bill)**
सेतु निर्माण	**11/SE-7 dt. 27.02.2016**	**42.01**	**27.02.16**	**26.11.16**	**25.94**	कार्य प्रगति में **(4th RA Bill)**
		213.02			**151.73**	

कार्य के संबन्धित अभिलेखो के जांच में पाया गया था कि इस स्वीकृति के सभी कार्य **mechanical nature** के होने के बावजूद भी निविदा आमंत्रण के समय ही कार्य को **split** कर दिया गया था ताकि चार अनुबंध का गठन किया जा सके। उपरोक्त गठित चार अनुबंध में से सिर्फ एक अनुबंध (**58/EE dt 4.02.16-** किमी-1 का कार्य**)** के सापेक्ष कार्य मई 2017 (अंतिम देयक के अनुसार) में पूर्ण हुआ परंतु शेष तीन अनुबंध**,** जिनकी अनुबंधित राशि `**162.08** लाख थी**,** के सापेक्ष `**104.96** लाख की राशि व्यय होने के बावजूद भी कार्य अपूर्ण है जबकि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नवम्बर 2016 थी। मोटर मार्ग के किमी -2 एवं 3 तथा किमी-3 पर सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होने से किमी-1 पर किए गए कार्य का लाभ क्षेत्रीय जनता को प्राप्त नहीं हो सका था जिसके कारण किमी-1 पर हुए व्यय `**46.77** लाख का लाभ नहीं मिल रहा है। अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कार्य पूर्ण होने के निर्धारित तिथि के समाप्त होने के डेढ़ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य अपूर्ण है और इस देरी के लिए कोई समय-वृद्धि की भी मांग नहीं की गयी थी।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण अधीक्षण अभियंता**,** सातवाँ वृत**,** लोक निर्माण विभाग**,** गोपेश्वर के पत्रांक 2857/238 यातायात-7 /2015 दिनांक 15.07.2015 कार्य की आवश्यकता को देखते हुए छोटे-छोटे टेंडर लगाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। कार्य में हुए विलंब के संबंध में बतलाया गया कि ग्रामीणो द्वारा मार्ग के **up-gradation** में अवरोध किए जाने के कारण कार्य में बाधा उत्तपन्न हुई थी जिसके कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका था। समय वृद्धि के संबंध में बतलाया गया कि ठेकेदार द्वारा समय-वृद्धि प्रस्तुत किए जाने के बाद नियमानुसार समय-वृद्धि प्रदान की जाएगी।

खंड का उत्तर किसी भी बिन्दु पर तार्किक नहीं है क्योंकि**,** नियमानुसार**,** कार्य **mechanical nature** के होने के बावजूद भी कार्य को निविदा-स्तर पर ही **split** कर चार अनुबंध का गठन किया गया था। पुनः यह कहना कि ग्रामीणो द्वारा मार्ग के **up-gradation** में अवरोध किए जाने से कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका था**,** अतार्किक प्रतीत होता है। क्योंकि मार्ग निर्माण

का मुख्य उद्देश्य मुख्य सड़क से संयोजकता दिलाना था। समय-वृद्धि प्रदान करने के संबंध में भी उचित उत्तर नहीं दिया गया था।

प्रस्तर :–4 IRC के प्रावधानो के विपरीत कार्य कराने के कारण रू0 0.93 लाख का व्ययाधिक्य एवं रू0 34485 लेबर सेस की कटौती न किया जाना।

जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत मेहल चौरी–माइथान–नैल–देवपूरी मोटर मार्ग के किमी0 29 से 51 तक डामरीकरण कार्य हेतु शासन द्वारा रू0 805.66 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। (5/2013)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 द्वारा समान धनराशि की प्रदान की गई थी (3/2013) कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 05/एस0ई–7/2013–14 दिनांक 11.9.2013 धनराशि रू0 7.57 करोड का गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रराम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमसः 11.9.2013 एवं 10.06.14 थी। वर्तमान मे कार्य पूर्ण हो चुका है।

IRC 48-1998 के प्रावधान के अनुसार यदि रिटेनिग वाल 4 मीटर तक या 4 मीटर से कम ऊॅचाई में बनाया जाता है तो उसे बिना सीमेन्ट मसाले (cement mortar) के बनाया जाना चाहियै।

अभिलेखो की जॉच मे पाया गया कि खण्ड द्वारा आई0आर0सी0 के प्रावधानों के विपरीत 50.49 Cum रिटेनिंग वाल जिसकी ऊचाई 4 मीटर से कम थी को 1 :4 के अनुपात में Mixed cement mortar के साथ रू0 2800.00/Cum की दर पर निर्माण करवाया गया था। जबकि यह रिटेनिंग वाल बिना cement mortar केरू0 950.00/Cum की दर से निर्माण करवाना चाहिये था। इस प्रकार खण्ड द्वारा रू0 1850.00/Cum (2800.00 – 950.00) की दर से रू0 0.93 लाख (रू0 1850 x 50.49 cum) अधिक/परिहार्य व्यय किया गया। जिसे बचाया जा सकता था।

आगे जॉच में यह भी पाया गया कि कार्य पर अन्तिम देयक के अनुसार रू0 76868239.00 व्यय किया गया था। जिस पर नियमानुसार एक प्रतिशत की दर से रू0 7.68 लाख लेबर सेस की कटौती किया जाना था परन्तु खण्ड द्वारा केवल रू0 7,34,19,750/- **पर ही लेबर सेस की** कटौती **की गई थी** अर्थात रू0 34485.00 की कम कटौती की गई थी जो कि लेबर नियमों के विपरीत था।

प्रकरण इंगित कर लेबर सेस की कम कटौती के बारे मे पूछे जाने पर खण्ड द्वारा बताया कि ठेकेदार से सम्बन्धित बंधक FDR से 34485.00 की कटौती कर ली जायेगी। 4 मीटर से कम ऊॅचाई की रिटेनिंग वाल को सीमेन्ट मोर्टार से बानये जाने के सम्बन्ध में खण्ड द्वारा उत्तर में बताया कि रिटेनिंग वाल का कार्य खड्ड साइड में Slip and settlement की सम्भावना मार्ग की लम्बाई में कुछ जगह पर सदैव बनी रहती है। जिस वजह से उस जगह पर Dry Masonry कार्य करने पर हमेशा settlement की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। इस कारण उक्त स्थानो पर RR 1:4 Masonry का प्राविधान किया जाता है।

रिटेनिंग वॉल के सन्दर्भ में खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि IRC 48-1998 में स्पष्ट उल्लेख है कि 4 मीटर से कम ऊॅचाई वाली रिटेनिंग वाल को बिना Cement mortar से बनाया जाना है।

अतः रू0 34485.00 लेबर सेस की कम वूसली, IRC के प्रावधानो का उल्लघंन कर 0.93 लाख का परिहार्य व्यय प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर -5 रु0 5.06 लाख रॉयल्टी (राजस्व) की किये गए कम कटौती की वसूली के संबंध में।

खण्ड–एक
उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2001
उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) विभाग
विज्ञाप्ति, 26 अगस्त, 2001 ई

1575–एम/18 ख–माइन्स एण्ड मिनरल्स् (रेगूलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्त सं0 97/1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुये, उत्तराखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2001

अध्याय–3
स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

(1) इस नियमावली के लागूहोने की दिनांक को या उसके पश्चात् दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्त की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने या बहिष्कृत करने अथवा बढाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।
प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य ;च्पजे उवनजी अंसनमद्ध के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नही ंकरेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा बिलेख में उल्लिखित की जायेगी। राज्य–सरकार वर्ष में अधिक बार

खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी यदि वह इसको बढाया जाना आवश्यक समझे।

उत्तरखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 1531 / टप्प.1ध80ख / 2016
देहरादून दिनांक 30 सितम्बर 2016

3.खनिज की मात्रा का आंकलन

(क) उपखनिज क्षेत्रों में निक्षेपित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर की अधिकतम मात्रा वहीं मानी जायेगी, जो पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित की गयी है अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा आंगणित की गयी है। उपखनिज क्षेत्रों में निक्षेपित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर की आगंणित मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि व अपरिहार्य भाटक धनराशि (dead rent) का आंकलन सम्बन्धित जनपद के निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
(ड) पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रायल्टी दर तत्समय निर्धारित न्यूनतम रायल्टी दर का 50 प्रतिशत लागू होगा।

उपखनिज पर **देय रायल्टी का निर्धारण– 13**

प्रत्येक चुगान क्षेत्र से निकासी किये गये उपखनिज पर रायल्टी का आंगणन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–21 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित उपखनिज की रायल्टी दर के अनुसार किया जायेगा।

उपखनिज क्षेत्र का अपरिहार्य भाटक / पट्टा धनराशि का निर्धारण– 14

चुगान पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र का वार्षिक अपरिहार्य भाटक (Dead Rent) का आगणन चुगान क्षेत्रों हेतु Rapid Survey द्वारा आगणित मात्रा का 50 प्रतिशत मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि वार्षिक अपरिहार्य भाटक / पट्टा की धनराशि के

रूप में आंगणित की जायेगी, जिसे निजी एवं निगम पट्टा धारकों द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

आगामी वर्षों में अपरिहार्य भाटक/पट्टा धनराशि के आगणन में वार्षिक वृद्धि नहीं की जायेगी जब तक नियमानुसार उपखनिजों की रायल्टी पुनः निर्धारित नहीं होती है।

पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया 15–

पट्टा धारक के द्वारा पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्षक में पट्टा विलेख में निर्धारित मासिक किस्तों में निर्धारित समयान्तर्गत किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह होगा की निकासी की रायल्टी या पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाट्क की धनराशि जो भी अधिक हो देय होगा।

उत्तरखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 842/टप्.1ध्2016/24–ख/2007
देहरादून दिनांक 19 मई 2016

अधिसूचना

शासन के अधिसूचना संख्या– 211/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तरखण्ड खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वीमित्व (रायल्टी) की दर (नियम 21) के क्रमांक– 8 में विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायल्टी की दर को नियमानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वर्तमान प्रावधान		एतद् द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
खनिज का नाम	रायल्टी की दर	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दर एवं निर्धारित नदी तल (धनराशि रू0 में)
8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	194.5 प्रति घन मी0 अर्थात् 8. 85 प्रति कुन्टल	8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	1 रू0 8.50 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 187.00 प्रति घन मी0 (गोला नदी) 2. रू0 8.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 176.00 प्रति घन मी0 (कोसी, दाबका नदी) 3. रू0 7.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 154.00 प्रति घन मी0 (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

2. उक्तानुसार रायल्टी की संशोधित दरें आदेश निर्गत होने की तिथि से लाग ूहोंगी इसका पूर्वागामी प्रभाव नहीं होगा।

3. उत्तरखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2016 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त शेष यथावत रहेंगे।

उत्तरखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 1207 / टप्.1ध्24.ख / 2007
देहरादून दिनांक 07 **अगस्त** 2015
(प्रति संलग्न)

एवं

उत्तरखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 1033 / टप्.1ध्2015 / 146–ख / 2010
देहरादून दिनांक 31 **जुलाई** 2015
(प्रति संलग्न)

और

उत्तरखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 211 / टप्.1ध्2016 / 24–ख / 2007
देहरादून दिनांक 26 **फरवरी** 2016
(प्रति संलग्न)

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली (भूलेख अधिष्ठान) के पत्रांक संख्या - 3121 /तीस-एम0बी0(2016-17) दिनांक : गोपेश्वर : 19 अप्रैलए 2017 द्वारा उप खनिज रायल्टी की दरों के संबंध में ।

(प्रति संलग्न)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैंण के माह 28/06/2017 से माह 07/08/2018 तक के वाउचरों/बिलों की लेखापरीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी तात्कालिक लागू पूर्ण दर से कम दर@ रु0 110.11 से कटौती करते हुए रु0 12, 69, 802 [लेखापरीक्षामें जितने बिलों (संलग्न) कीजांच की गई] की कटौती की गई एवं राजस्व में जमा किया गया है।

उपर्वर्णित नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली एवं उत्तराखण्ड उप–खनिज(बालू, बजरी, बोल्डर, ईट आदि) नीति दोनों दो अलग – अलग नीति है पहला रायल्टी से संबन्धित, जबकि दूसरा चुगान से संबन्धित है। रायल्टी की नीति मेंपर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों का कोई उल्लेख नहीं है अर्थात उपखनिज पर रायल्टी दरों मे पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र के बीच कोई अन्तर नहीं है अर्थात निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी तात्कालिक लागू पूर्ण दर से अर्थात मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में दरों में बगैर अंतर के समान दर से कटौती की जानी है । साथ ही उपरोक्त कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली के पत्र में भी उपर्वर्णित उत्तराखंड शासनादेश का संधर्भ लिया गया है कोई आदेश नहीं दिया गया है ऐसे में उपखनिज पर रायल्टी की दर रु0 110.11 प्रति घनमीटर लागू करने का कोई औचित्य नहीं है जबकि उप–खनिज (परिहार)(संशोधन)नियमावली, 2016 के अनुसार रायल्टी रु0 154.00 प्रति घनमीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए।

इस प्रकार खण्ड में तिथि 28/06/2017 से ले कर 07/08/2018 के दौरान भुगतान किए गए वाउचरों से निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी की कटौती रु. 154.00 के स्थान पर रु. 110.11 प्रति घन मी. की दर से कुल रु. 1269802.00 की कटौती की गई। इस प्रकार रु. 43.89 प्रति घन मी. की दर से कम कटौती किए जाने के कारण रु. 5,06,145.00की रॉयल्टी की कटौती कम की गई।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि लेखा परीक्षा आपत्ति का संज्ञान लेते हुए संबन्धित ठेकेदार के देयकों / धरोहर धनराशि से अवशेष रॉयल्टी की कटौती वसूल कर महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा।

लेखा परीक्षा विभाग के उत्तर से सहमत है क्योंकि कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली का रॉयल्टी के संदर्भ में कोई भी पत्र उत्तराखंड शासनादेशको अधिक्रमित नहीं कर सकता है।

अतः ` 5.06 लाख के रॉयल्टी (राजस्व) की किये गए कम कटौती की वसूली हेतु प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:6 - शासकीय निधि को बैंक के चालू खाते में park किया जाना:- `15.08 लाख

Rule-21 of the General Financial Rule pertaining to Standards of financial propriety provides that every officer incurring or authorizing expenditure from public moneys should be guided by high standards of financial propriety. Every officer should also enforce financial order and strict economy and see that all relevant financial rules and regulations are observed, by his own office and by subordinate disbursing officers. The sub-rule (ii) of the rule-21 provides that the expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. Further, Rule-**21 of Financial Hand Book volume-V (FHB-vol-5)** provides that, Under Treasury Rule 7(1), all moneys as defined in articles 266, 267 and 284 of the Constitution, received by or tendered to Government servants in their official capacity shall, without undue delay be paid in full into the treasury or into the Bank and shall be included in the Government Account. Rule 22-B of FHB-vol-5 provides that, under Rule 9 of the Treasury Rules, a government servant may not, except with the special permission of the Government, deposit in a bank moneys withdrawn from the Government Account under the provisions of Section VII of the Treasury Rules (Appendix II).

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैन के रोकड़ बही के जांच के दौरान यह पाया गया कि खण्ड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, के गैरसैन शाखा में चालू खाता संख्या-37276937830 का संधारण किया जा रहा था जिसमे वर्तमान (27 नवम्बर 2018) तक `15,08,232.00 की राशि शेष है। यह खाता श्री एल एम हरबोला, सहायक अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैन के नामे संधारित की जा रही है। इस संबंध में यह विदित है कि उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 99/XXVII (14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर 2009 कोषागार से आहरित सरकारी निधि को बैंक में रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है परंतु इसके विपरीत राशि को कोषागार से निकाल कर बैंक में park किया गया था। इसके साथ ही, कार्यालय के द्वारा बचत खाता के स्थान पर चालू खाते का संधारण किया जा रहा है जिससे की सरकार को अर्जित होने वाले ब्याज से भी वंचित होना पड़ा था। उपरोक्त पत्र में यह भी उल्लेखित है कि यदि आवश्यक हो तो कोषागार में Personal Ledger Account को खोलकर उसमे राशि को जमा किया जाना चाहिए तथा उसमे से व्यय किया जाना चाहिए।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में कर्णप्रयाग डिविजन के भूमि-प्रतिकर को बाँटे जाने हेतु चालू खाता खोला गया था। बैंक द्वारा पदनाम से खाता खोलने पर मना किए जाने के बाद व्यक्ति के नाम से खाता खोला गया था। बचत खाता के स्थान पर चालू खाते का संधारण किए जाने के संबंध में बतलाया गया कि मुआवजा बांटने के लिए लेने-देने करना पड़ता था, इसलिए चालू खाता खुलवाया गया था। साथ ही, गैरसैन में सब-रजिस्ट्रार का कार्यालय नहीं होने के कारण भी कर्णप्रयाग में भूमि-प्रतिकर बांटने का कार्य किया गया था जिसमे प्रतेयक 2-3 दिन छोड़कर भूमि- मुआवजा बांटा गया था परंतु चालू खाता संधारण करने से हुए ब्याज में हानि के संबंध में कुछ नहीं बताया गया था।

खण्ड का उत्तर बिलकुल भी मान्य नहीं है क्योंकि शासकीय निधि को बैंक खाते में रखने का मूल कारण मुआवजे की राशि का अवितरित रहना था। पुनः खंड द्वारा शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर 2009 की भी की अवहेलना है।

भाग -03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

प्रथम लेखापरीक्षा है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण (चमोली)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   MB No. 16/L

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री के॰ सी॰ आर्या	अधिशासी अभियन्ता	05/07/14 से 15/07/15 तक।
2.	श्री श्री मनोज कुमार भट्ट	अधिशासी अभियन्ता	15/07/15 से 27/07/15 तक।
3.	श्री श्री राजेन्द्र नारायण	अधिशासी अभियन्ता	27/07/15 से 15/09/15 तक।
4.	श्री एम॰ सी॰ जोशी	अधिशासी अभियन्ता	13/10/15 से 17/06/16 तक।
5.	श्री डी॰ पी॰ सिंह	अधिशासी अभियन्ता	17/06/16 से 14/12/16 तक ।
6.	श्री ओ॰ पी॰ सिंह	अधिशासी अभियन्ता	14/12/17 से 08/06/18 तक।
7.	श्री एम॰ पी॰ एस॰ रावत	अधिशासी अभियन्ता	11/06/18 से वर्तमान तक ।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

	नाम	अवधि
1.	श्री शिवराज सिंह खत्री	05/07/14 से 17/02/15 तक।
2.	श्री अरविन्द कुमार	18/02/15 से 27/03/16 तक।
3.	श्री आर॰ पी॰ चौरसिया	27/03/16 से 09/09/16 तक।
4.	श्री एन॰ के॰ सिंह	09/09/16 से 24/08/18 तक।
5.	श्री नितीश कौशिक	24/08/18 से वर्तमान तक ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण (चमोली)** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन

आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II